

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2287
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साकर्मियों की कमी

†2287. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) का वर्तमान नेटवर्क भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) तथा निर्धारित जनसंख्या मानदंडों के अनुरूप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में, विशेषकर पुणे जिले में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-जिला अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा उक्त संस्थानों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों तथा पैरामेडिकल कर्मियों की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पुणे जिले की तेजी से बढ़ती शहरी तथा शहर के आस-पास के क्षेत्रों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वहां की स्वास्थ्य अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र के जनजातीय, पर्वतीय, सूखा-प्रवण तथा आकांक्षी जिलों में विशेषकर अवसंरचना तथा जनशक्ति संबंधी कमियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उक्त राज्य में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ.): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं। देश के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक मानव संसाधन (डॉक्टर, स्टाफ आदि) उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता हेतु सहायता प्रदान करता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जा सके। एनएचएम के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जिनमें महाराष्ट्र के जनजातीय, पहाड़ी, सूखाग्रस्त और आकांक्षी जिले भी शामिल हैं) द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार निर्धारित मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्रवाई अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों को अपनी मंजूरी प्रदान करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईएचपीएस) तैयार किए गए हैं। ये मानक देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सेवाओं, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, जांच सुविधाओं, उपकरणों, दवाओं आदि के लिए एक समान मापदंड तय करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य केंद्रों की योजना बनाने तथा उन्हें बेहतर बनाने के लिए संदर्भ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। महाराष्ट्र के पुणे जिले सहित देश भर में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के बुनियादी ढांचे, साथ ही डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता और कमी का विवरण, दिए गए लिंक के माध्यम से एचएमआईएस पोर्टल पर एचडीआई 2023-24 के पब्लिकेशन शीर्षक में देखा जा सकता है:

<https://hmis.mohfw.gov.in>

जन स्वास्थ्य केंद्रों के मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओपन डेटा किट (ओडीके) नामक एक एंड्रॉइड-आधारित एप्लिकेशन तैयार किया है। यह ऐप सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वास्थ्य केंद्रों का प्रारंभिक मूल्यांकन करने, कमियों की पहचान करने और समय पर सुधार संबंधी कदम उठाने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के पुणे जिले सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में आई कमियों और साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा समीक्षा बैठकों, मुख्य लक्ष्यों की मध्यावधि समीक्षाओं, वरिष्ठ अधिकारियों के मैदानी दौरों, और सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क तय कर उत्कृष्ट कार्यों

को पुरस्कृत करने के माध्यम से होती है। इसके अलावा, योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए हर साल कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को मजबूत करने के लिए नियमों में छूट दी गई है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) स्थापित करने के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों को घटाकर क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रति 1,000 जनसंख्या के बजाय अब प्रत्येक बस्ती पर एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।

उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करके देश भर में कुल 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 13,457 केंद्र भी शामिल हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य से जुड़ी निवारक, सुधारात्मक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल संबंधी विस्तृत सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में ये केंद्र चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की 12 पैकेज सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी (एनसीडी), प्रशामक देखभाल और बुजुर्गों की देखरेख, सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकार, तंत्रिका संबंधी स्थितियां (जैसे मिर्गी, डिमेंशिया), नशा मुक्ति (तंबाकू, शराब, ड्रग्स), ओरल (मुँह का) स्वास्थ्य, कान-नाक-गला (ईएनटी) देखभाल और बुनियादी आपातकालीन देखभाल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य महाराष्ट्र सहित देश भर में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए अनुदान की सिफारिश की है।

भारत सरकार महाराष्ट्र सहित ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहन राशि और मानदेय प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऐसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए इनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता, राज्यों को "यू कोट, वी पे" जैसी परस्पर सहमति से वेतन तय करने के लिए छूट, परास्नातक पाठ्यक्रमों में वरीयता से प्रवेश जैसे गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात देखभाल (सीईएमओएनसी) और जीवनरक्षक एनेस्थीसिया कौशल प्रशिक्षण (एलएसएस) के माध्यम से डॉक्टरों को अनेक क्षेत्रों में कुशल बनाने जैसे कई तरह के उपाय किए जाते हैं।
